

आदेश

विभागीय आदेश संख्या-6878 दिनांक-23.11.2016 द्वारा श्री राकेश रंजन तत्कालीन मोटर यान निरीक्षक, कैमूर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(7) के तहत निलंबन से मुक्त करते हुए योगदान की तिथि-19.10.2016 से योगदान स्वीकृत किया गया है, को तत्काल प्रभाव से मोटर यान निरीक्षक, बांका के पद पर परस्थापित किया जाता है।

2 मोटर यान निरीक्षक, बांका के पद पर पूर्व से पद थापित श्री सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी, चिकित्सा अयकाश से वापसी के पश्चात परिवहन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देंगे।


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-05/स्था0 (आरोप) 10/2016 परि0 6985 पटना, दिनांक 28/11/16

E-mail
प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभूआ)/बांका/ जिला परिवहन पदाधिकारी, बांका/कैमूर (भभूआ) जिला कोषागार पदाधिकारी, बांका/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर/पटना/माननीय मंत्री परिवहन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव तथा श्री राकेश रंजन, तत्कालीन मोटर यान निरीक्षक, कैमूर (भभूआ)), को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।